UPJS100002102009

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जनपद- झाँसी।

उपस्थित - सृष्टि सुक्ला (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

J. O. Code - UP4682

दाण्डिक वाद सं०- 1893/ 2009

सरकार

. . . . . **अभियोजन।**

विरुद्ध

1. उमाशंकर पुत्र मोतीलाल यादव।
2. वीर सिंह पुत्र मोतीलाल यादव।
3. रवि पुत्र वीर सिंह यादव। **(दौरान मुकदमा मृत्यु)**

निवासीगण बरौल, थाना टहरौली, जिला झांसी।

. . . . . **अभियुक्तगण ।**

धारा- 323, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना- टहरौली, जिला- झाँसी।

एन०सी०आर० नं०- 8/ 2009

निर्णय

1. थाना- टहरौली, जिला- झाँसी की पुलिस द्वारा एन०सी०आर० नं०- 8/ 2009 में अभियुक्तगण उमाशंकर, वीर सिंह व रवि के विरूद्ध धारा- 323, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर इस प्रकरण का विचारण किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि दिनांक- 12. 03. 2009 को उमाशंकर, वीर सिंह व रवि दारू पीकर वादी चतुर सिंह के मकान के खपरा फेंकने लगे। वादी के मना करने पर गाली गलौच की और लाठी डण्डों से मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी।
3. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक- 13. 03. 2009 को समय 17. 20 बजे थाना- टहरौली में एन०सी०आर० नं- 8/ 2009 प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा- 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता अंकित की गई। मुकदमे की कायमी का इंद्राज जी०डी० में किया गया। मामले की विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई। विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, नक्शा नजरी तैयार की गई एवं गवाहान के बयान अंकित किए गए। विवेचनाधिकारी ने विवेचना की अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत अभियुक्तगण उमाशंकर, वीर सिंह व रवि के विरूद्ध धारा- 323, 504, 506 भा०दं०सं० का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित

किया। आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के उपरांत अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा तलब किया गया तथा अभियुक्तगण ने न्यायालय उपस्थित आकर अपनी जमानतें करायीं।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप पत्र, एन०सी०आर० की कार्बन प्रति, नक्शा नजरी व केस डायरी प्रस्तुत किये गये हैं।

5. दिनांक- 07. 02. 2018 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की। आरोप विरचित होने के पश्चात अभियोजन द्वारा गवाह के तौर पर पी०डब्ल्यु०- 1 चतुर सिंह व पी०डब्ल्यु०- 2 राजनारायण को परीक्षित कराया है। अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। <u>प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विचारण अभियुक्त रवि की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।</u>

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा- 313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा कथित अपराध कारित नहीं करने, साक्षीगण के बयानों के संबंध में कहा कि कुछ नहीं कहना है, मुकदमा झूंठा चलाये जाने तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

7. अभियोजन द्वारा गवाह के तौर पर पी०डब्ल्यु०- 1 चतुर सिंह व पी०डब्ल्यु०- 2 राजनारायण को परीक्षित कराया है। अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों के सन्दर्भ में उक्त मौखिक साक्षियों के साक्ष्य का विवेचन किया जावेगा कि अभियोजन पक्ष उक्त साक्ष्य से अपने कथानक को किस हद तक संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं।

8. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यु०- 1 चतुर सिंह** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया है कि, *" घटना लगभग आज से लगभग ग्यारह साल पहले की है। समय करीब 8 बजे शाम की है। मेरे ही गांव के उमाशंकर वीर सिंह और रवि सिंह दारू पीकर मेरे मकान के खपरा को फेंकने लगे मैंने मना किया तो अभियुक्तगण गाली गुप्ता देने लगे। शोरगुल सुनकर के गांव के ही राजानारायण और मनोज आकर के बीच बाचव किया और ललकारा अभियुक्तगण गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये जिसकी सूचना हमने थाना टहरौली में दिया था जो संलग्न पत्रावली है जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसपर प्रदर्श क- 1 डाला गया। घटना के बावत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मेरा पहचान पत्र आधार कार्ड है जिसका नंबर 496528081230 है जिसपर हमारे निशानी अंगूठा लगी हुयी है।"*

9. **साक्षी पी०डब्लू०- 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के स्तर पर कथन किया कि,** *" घटना के दिन तारीख मुझे याद नहीं है। घटना रात के समय की है। घटना के समय काफी अंधेरा हो गया था। घटना के समय काफी भीड़ भाड़ हो गयी थी और शोरगुल हो रहा था। काफी अंधेरा होने के कारण में देख नहीं पाया कि मेरे साथ मारपीट किसने की। काफी भीड़भाड़ हो जाने के कारण मैं गिर गया था जिससे मुझे छोटी चोटें आ गयी थी। शोरगुल होने के कारण मैं सुन नहीं पाया कि मुझे किसने जान से मारने की धमकी और गालियां दी। मैंने रिपोर्ट गांव वालों के कहने से लिखा दी थी। घटना के बाबत घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया है। मेरे और अभियुक्तगणों के मध्य राजीनामा हो गया है। गवाह को धारा- 161 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया उसने इंकार किया और कहा कि मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। मेरा बयान कैसे लिख लिया इसकी वजह मै नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि आपस में सुलह समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि सुलह समझौता हो जाने के कारण अभियुक्तगण को बचाने के लिये झूंठी गवाही दे रहा हूं।"* ***पक्षद्रोही घोषित***

10. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यु०- 2 राजनारायण** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया है कि, *"चतुर सिंह मेरे गांव के हैं। चतुर सिंह को किसी ने मारा पीटा था या नहीं मुझे नहीं मालूम है। उमाशंकर, वीर सिंह ने मेरे सामने चतुर सिंह को मारा पीटा नहीं था ना गाली दी थी न जान से मारने की धमकी दी थी।* ***"पक्षद्रोही घोषित।***

11. **साक्षी पी०डब्लू०- 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के स्तर पर कथन किया कि,** *"दरोगा जी ने मेरे कोई बयान नहीं लिये थे। है। यदि दरोगा जी लिख लिये हो तो मैं उसकी कोई वजह नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त के डर या दबाव में आकर घटना की सही बात नहीं बता रहा हूं। घटना किस तारीख की है मुझे जानकारी नहीं है। मेरे सामने वीर सिंह, उमाशंकर ने चतुर सिंह के साथ मारपीट गाली गलौच व जान से मारने की धमकी नहीं दी है। दरोगा जी ने मेरे बयान नहीं लिये थे। दरोगा जी ने मेरा नाम गवाह में कैसे लिख दिया उसकी मैं वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूंठे बयान दे रहा हूं।"*

12. मेरे द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक- 12. 03. 2009 को समय करीब - 8. 00 बजे शाम व स्थान मकान वादी ग्राम बरौल थाना टहरौली, जिला झांसी में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की मारपीट की गयी, उसे गालियां देकर साशय अपमानित किया व जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास किया।"

14. अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी पी०डब्ल्यु० - 1को मुख्य परीक्षा के स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है। ऐसे में इस साक्षी के संबंध में कोई भी तर्क दिया जाना आवश्यक नहीं है। जहां तक साक्षी पी०डब्लू०- 2 का प्रश्न है तो उसके द्वारा विरोधाभाषी बयान दिये गये हैं। पी०डब्लू०- 2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने, गाली गलौच किये जाने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया गया है। जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में अंधेरा होने के कारण मारपीट किसके द्वारा की गयी नहीं पता होने, भीड़ भाड़ में गिरने से चोटे आने एवं गाली किसके द्वारा दी गयी पता नहीं होने का कथन किया गया है।

15. साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक से आपराधिक घटना के संबंध में युक्ति-युक्त संदेह से परे तथ्यात्मक बल नहीं मिलता है। अभियोजन की तरफ से अन्य किसी गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने अभियुक्तगण के द्वारा ही अधिरोपित अपराध कारित करने का कथन किया हो।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित उक्त वर्णित तथ्यात्मक साक्षीगण के मौखिक परिसाक्ष्य के आधार पर हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार वर्णित आपराधिक घटना के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप संबंधी तथ्यात्मक संघटक युक्ति- युक्तक संदेह से परे सिद्ध नहीं होते हैं।

17. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना है तथा यह भी स्थापित विधि है कि मामला संदेह से परे साबित न किये जाने की स्थिति में संदेह का लाभ अभियुक्तगण को प्रदान किया जायेगा।

18. इस प्रकार उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्यों के विवेचना के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदहे से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

19. अतः अभियुक्तगण उमाशंकर व वीर सिंह को धारा- 323, 504, 506 भा०दं०सं० के दण्डनीय आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दाण्डिक वाद सं०- 1893/ 2009 सरकार बनाम उमाशंकर आदि, एन०सी०आर० नं०- 8/ 2009, थाना- टहरौली, जिला- झाँसी के मामले में अभियुक्तगण **उमाशंकर** व **वीर सिंह** को धारा- 323, 504, 506 भा०दं०सं० के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है। इस मामले में अभियुक्तगण जमानत पर हैं अतः उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते है तथा उसके प्रतिभूओं को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

धारा- 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में प्रत्येक अभियुक्त 25,000/ - रु० का एक प्रतिभू एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करे, जो छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे तथा छः माह पश्चात स्वतः निरस्त माने जायेगें। मामले में अपील होने की स्थिति में अभियुक्तगण माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष अविलम्ब उपस्थित होंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(सृष्टि शुक्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, जनपद- झांसी।
जे०ओ० कोड यू०पी० 4682

दिनांक- 23. 07. 2026

यह निर्णय, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि शुक्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, जनपद- झांसी।
जे०ओ० कोड यू०पी० 4682

दिनांक- 23. 07. 2026

Mohd. Anas
(Steno)